झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0/06–योजना–27/2025 – 1371(S) दिनांक–30/03/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, राँची।

विषयः– **पथ प्रमण्डल, राँची (ग्रामीण) अन्तर्गत "सिल्ली टीकर पथ (MDR-25) पर बारेंदा से सतीघाट मेला स्वर्णरेखा नदी तक पथ (कुल लंबाई–1.800 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू–अर्जन, Resettlement & Rehabilitation एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु कुल राशि रू0 9,98,79,300/– (नौ करोड़ अन्ठानवे लाख उनासी हजार तीन सौ रूपये) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल राशि रू0 9,98,79,300/– (नौ करोड़ अन्ठानवे लाख उनासी हजार तीन सौ रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तावित पथ का स्वाामित्व ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। उक्त पथ राँची जिलान्तर्गत सोनाहातू प्रखण्ड के बारेन्दा गाँव, जो कि सिल्ली–टीकर पथ (MDR-25) के 18वें कि0मी0 में स्थित है, से प्रारंभ होकर सतीघाट मेला तक (स्वर्णरेखा नदी घाट तक) समाप्त होती है। बारेन्दा गाँव के निकट स्थित सतीघाट एक पवित्र स्थल है, जहां तीन नदियां – स्वर्णरेखा, कांची एवं राढू नदी आपस में मिलती है। यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए त्रिवेणी संगम के रूप में अत्यंत पूजनीय है। यहां प्रत्येक वर्ष सतीघाट मेला का आयोजन होता है। वर्त्तमान में पथ की स्थति जर्जर है। अतएव यातायात के सुगम संचालन हेतु उक्त पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य कराया जाएगा।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के माँग संख्या–41–राज्य स्कीम/मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय/ उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग/ लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष–01–वृहद् सड़कें/विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण–45– निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

9/4/26

4. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, राँची (ग्रामीण) होंगे तथा इस राशि की निकासी कोषागार, राँची से की जायेगी।

5. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2025–26	रू0 399.518 लाख	40%
2026–27	रू0 599.275 लाख	60%

6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

30/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/06–योजना–27/2025 – 1371(S) दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, राँची (ग्रामीण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि संबंधित विभाग/ प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पूर्व के कार्य के Defect Liability Period (DLP) के पश्चात् कार्य कराया जायेगा।

5. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

30/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/06–योजना–27/2025 – 1371(S) दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/उपायुक्त, राँची/ संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, मु0, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/06–योजना–27/2025 – 1371(S) दिनांक–30/03/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/06–योजना–27/2025 – 1371(S) दिनांक– 30/03/2026

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

30/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।